न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारीः— अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्याः— 177/2022

रविन्द्र कुमार पुत्र राम सिंह जाति बिश्नोई साकिन 25 एमओडी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

—— प्रार्थी

—:बनामः—

1. अमरसिंह उर्फ अमरचन्द पुत्र धोंकल जाति बिश्नोई साकिन हरदयालपुरा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
2. इन्द्रपाल पुत्री हेतराम जाति बिश्नोई साकिन 23 एमओडी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
3. ओमप्रकाश पुत्र धोंकल जाति बिश्नोई साकिन लडाणा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
4. ओमी पत्नी हेतराम जाति बिश्नोई साकिन 23 एमओडी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
5. कृष्ण पुत्र धोंकल जाति बिश्नोई साकिन लडाणा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
6. जगपाल उर्फ जयपाल पुत्र खेताराम जाति बिश्नोई साकिन 23 एमओडी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
7. दौलतराम पुत्र धोंकल जाति बिश्नोई साकिन लडाणा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
8. धर्मवीर पुत्र रामप्रताप जाति बिश्नोई साकिन 23 एमओडी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
9. बिहारी पुत्र हजारी जाति बिश्नोई साकिन 23 एमओडी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
10. मुर्ती देवी पुत्री हेतराम जाति बिश्नोई साकिन सरदारपुरा बीका तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
11. महावीर प्रसाद पुत्र खेताराम जाति बिश्नोई साकिन 23 एमओडी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
12. रमेश कुमार पुत्र रामप्रताप जाति बिश्नोई साकिन 23 एमओडी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
13. रामकुमार पुत्र हेतराम जाति बिश्नोई साकिन 23 एमओडी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
14. रामस्वरूप पुत्र धोंकल जाति बिश्नोई साकिन 23 एमओडी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
15. विक्रम पुत्र जगदीश जाति बिश्नोई साकिन 23 एमओडी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
16. विनोद पुत्र बिहारीलाल जाति बिश्नोई साकिन 23 एमओडी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
17. विष्णु पुत्र खेताराम जाति बिश्नोई साकिन 23 एमओडी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
18. सुभाष पुत्र खेताराम जाति बिश्नोई साकिन 23 एमओडी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
19. सुरेन्द्र पुत्र जगदीश जाति बिश्नोई साकिन लडाणा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
20. सुलोचना पत्नी खेताराम जाति बिश्नोई साकिन 23 एमओडी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
21. श्रीमान नायब तहसीलदार गोलूवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
22. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़

—— अप्रार्थीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.02.06 15:26:08 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,129 भू0रा0अधिनियम

—:: उपस्थित अभिभाषकगण ::—

1. श्री हीरालाल बिरथलिया	प्रार्थी
2. श्री संजय चाण्डक	अप्रार्थी संख्या 2
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीलीबंगा	अप्रार्थी संख्या 2

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

-: निर्णय :-

दिनांक :- 31/01/2025

प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से अन्तर्गत धारा 128, 129 भू.रा.अधिनियम के तहत अप्रार्थीगण के विरूद्ध अधिवक्ता श्री हीरालाल बिश्नोलिया के द्वारा प्रस्तुत किया गया है प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थना पत्र बाबत निशानदेही पर पत्थर/पिल्लर लगाये जाने के आदेश हेतु।

यह कि प्रार्थी के नाम से एकल स्वामित्व की खातेदारी कृषि भूमि वाके तहसील पीलीबंगा के चक 25 एमओडी के खाता सं. 96 के प.नं. 8/262 के किला नं. 10/1, 11 ता 18, 19/1 की कुल 2.315 हैक. नहरी मुताबिक नकल जमाबन्दी सम्वत 2075–78 दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रमाणित प्रति जमाबन्दी सलग्न प्रार्थना पत्र है।

यह कि अप्रार्थीगण के नाम से संयुक्त खाता की खातेदारी कृषि भूमि वाके तहसील पीलीबंगा के चक नं. 23 एमओडी द्वितीय के खाता सं. 8 के प.नं. 7/262 के किला नं. 1 ता 25, प.नं. 7/263 के किला नं. 1 ता 5, 6/2 कुल तादादी 7.653 हैक. नहरी म.री.मु. मुताबिक नकल जमाबन्दी सम्वत 2073–76 दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रमाणित प्रति जमाबन्दी सलग्न प्रार्थना पत्र है।

यह कि अप्रार्थीगण की कृषि भूमि के पश्चिमी दिशा मे प्रार्थी की कृषि भूमि प.नं. 8/262 के किला नं. 15, 16 की 2 बीघा भूमि लगती है। प्रार्थी ने अपनी प्रार्थना पत्र की दफा 1 मे वर्णित 2.315 हैक. कृषि भूमि का सीमा ज्ञान करवाने के लिए एक आवेदन अप्रार्थी सं. 21 को किया जिस पर अप्रार्थी सं. 21 द्वारा बरुवे क्रमांक 18 दिनांक 28.04.2022 को प्रार्थी की भूमि का सीमा ज्ञान करने का आदेश दिया गया। उक्त आदेश की पालना मे भू.अ.निरीक्षक व पटवारी हल्का हरदयालपुरा द्वारा दिनांक 12.05.2022 को प्रार्थी की कृषि भूमि पर मौका पर जाकर भूमि का सीमा ज्ञान करने के लिए प.नं.10/263, 10/262 से 9/263, 8/263 मे जरीब चलाकर प्रार्थी को सीमा ज्ञान करवाया गया। उक्त सीमा ज्ञान से प्रार्थी व अप्रार्थीगण सहमत नही हुए तथा भूमि के कब्जा के संबंध मे किस प्रकार कोई परिवर्तन एवं निशानदेही नही दी गई और भू.अभि.निरीक्षक द्वारा अपनी रिपोर्ट इस आशय की अप्रार्थी सं. 21 को प्रस्तुत की गई कि प्रार्थी की भूमि का सीमा ज्ञान किये जाने पर प्रार्थी संतुष्ट नही है। प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि प्रार्थी की भूमि की पूर्वी सींव सही नही है क्योंकि अन्य मुरब्बों की अपेक्षा इस मुरब्बे मे पूर्वी सींव पश्चिम की तरफ घुमावदार बनी हुई है। मौके पर उपस्थित खेत पडोसियों को समझाईस कर पुनः सीमा ज्ञान कर सींव सीधी करने का प्रयास भी किया, किन्तु झगडा होने की संभावना पैदा होने के कारण मौका पर कोई कार्यवाही नही की गई और सीमा ज्ञान हेतु टीम गठित कर मय पुलिस जाब्ता के सीमा ज्ञान करवाया जाना उचित है की रिपोर्ट प्रेषित की गई। चित्रप्रति आदेश व दैनिक डायरी रिपोर्ट मय रिपोर्ट संलग्न प्रार्थना पत्र है।

यह कि भू.अभि. निरीक्षक व पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 12.05.2022 को किया गया सीमा ज्ञान से संतुष्ट न होकर प्रार्थी ने अप्रार्थी सं. 21 को एक प्रार्थना पत्र दिनांक 23.05.2022 को भूमि की पुनः पैमाईस करवाने हेतु दिया गया जिस पर अप्रार्थी सं. 21 द्वारा प्रार्थी की भूमि चक 25 एमओडी के प.नं. 8/262 की 2.315 हैक.का सीमा ज्ञान करवाने हेतु एक टीम का गठन किया गया जिसमे भू.अ. निरीक्षक कान्हेवाला व 3 पटवारियों को नियुक्त किया गया। अप्रार्थी सं. 21 द्वारा गठित टीम के सदस्यों मे से भू.अभिलेख निरीक्षक तरसेम सिंह से अप्रार्थी रमेश कुमार पुत्र रामप्रताप संतुष्ट न होने के कारण अप्रार्थी रमेश कुमार द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिनांक 24.06.2022 को श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय, हनुमानगढ को दिया। अप्रार्थी रमेश के प्रार्थना पत्र पर श्रीमान प्रभारी Signature Not Verified अप्रार्थी सं. 1 को इस आशय का आदेश दिया गया कि संबंधित आरोपी क... आई.एल.आर. के स्थान पर अन्य आई.एल.आरव अन्य पटवारियों के ... Digitally signed by Amita Bishnoi ...नुसार सुनिश्चित करें। इस आदेश पर अप्रार्थी सं. 21 Date: 2025.02.06 15:26:08 IST ... टीम मे भू.अभिलेख निरीक्षक कान्हेवाला की जगह भू.अभि. Reason: SelfAttested ... करते हुए गठित टीम को इस आशय के निर्देश दिये गये किये कि मौका पर खडी फसल ... नुकसान इत्यादि न हो का ध्यान रखते हुए नियमानुसार सीमाज्ञान आज ही करवाया जाना सुनिश्चित करे, सीमा ज्ञान की पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

यह कि अप्रार्थी सं. 21 द्वारा नवनियुक्त टीम गठित सदस्यों द्वारा दिनांक 28.06.2022 को प्रार्थी के खेत मे मय पुलिस जाबता सहित मौका पर पहुंचे। प.नं. 8/262, 9/262 तथा

प.नं. 8/264, 9/264, 8/261, 9/261 पर जरीब चलाकर निशानदेही दी गई और निशादेही के समय प्रार्थी की कृषि भूमि के प.नं. 8/262 के किला नं. 15 के उत्तर से दक्षिणी दिशा की ओर 100 फुट तक 2 फुट व इसके पश्चात 10 फुट व किला नं. 16 मे 8 फुट का अंतर आया गया और अप्रार्थीगण प्रार्थी की कृषि भूमि मे घुमावार रूप मे घुसे हुए थे। टीम द्वारा सही निशानदेही दी गई और मौका रिपोर्ट पर प्रार्थीगण व उपस्थितजन के हस्ताक्षर करवाये गये। चित्रप्रति दैनिक डायरी संलग्न प्रार्थना पत्र है।

यह कि प्रार्थी की कृषि भूमि का सीमा ज्ञान होकर प्रार्थी को निशानदेही दी गई। जैसा की स्पष्ट है कि कोई फसल काश्त न होने के कारण प्रार्थी को दी गई निशानदेही अनुसार प्रार्थी अपनी कृषि भूमि मे निशानचिन्ह (पत्थर/पिल्लर) खडे कर तारबंदी कर रहा था तो अप्रार्थीगण एक राय होकर प्रार्थी की कृषि भूमि पर दी गई निशानदेही पर पत्थर लगाने से रोकर दिया गया और प्रार्थी द्वारा लगाये को 3–4 पिल्लर को उखाड फेंक दिया गया तथा धमकी दी की यदि निशानदेही पर तुने कोई पिल्लर या तारबन्दी की तो खुन खराबा हो जायेगा। इस पर प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अप्रार्थी सं. 21 व थानाधिकारी महोदय गोलूवाला को दिया गया लेकिन उनके द्वारा कोई भी विधिक कार्यवाही नही करते हुए प्रार्थी की किसी प्रकार से कोई सहायता करने से साफ मना कर दिया और कहा न्यायालय से निशानदेही पर पत्थर/पिल्लर लगाये जाने के आदेश लेकर आओ। इसलिए उक्त तत्कालिक परिस्थितियों को देखते हुए प्रार्थी की कृषि भूमि की सीमा ज्ञान पैमाईश के संबंध मे सही रिपोर्ट नायब तहसीलदार गोलूवाला से मंगवाई जावे तथा प्रार्थी की कृषि भूमि की पैमाईश होने के उपरान्त प्रार्थी को दी गई निशानदेही पर पत्थर/पिल्लर लगाये जाने के आदेश प्रदान करे।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी की कृषि भूमि चक 25 एमओडी के खाता सं. 96 के प.नं. 8/262 के किला नं. 10/1, 11 ता 18, 19/1 की कुल 2.315 हैक. भूमि का किये गये सीमा ज्ञान पर दी गई निशानदेही की सही रिपोर्ट मय तथ्यात्मक रिपोर्ट नायब तहसीलदार गोलूवाला से मंगवाई जाकर प्रार्थी की कृषि भूमि पर दी गई निशानदेही पर पत्थर/पिल्लर लगाये जाने के आदेश प्रदान करे। श्रीमान जी की अति कृपा होगी।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर बाद सरिस्ता रिपोर्ट के दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रकरण में अप्रार्थीगण को जरिये समन तलब किया गया बाद तामिल समाचार पत्र से तलबी होने पर प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 1 ता 15 व 17 ता 20 के विरूद्ध एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लायी गई एवं प्रार्थना पत्र अप्रार्थी संख्या की ओर से आदेश 9 नियम 7 सीपीसी प्रस्तुत होने पर बाद निर्णय प्रार्थना पत्र अप्रार्थी संख्या 1 ता 15 व 17 ता 20 के विरूद्ध एक पक्षिय कार्यवाही अपास्त की गई है।

जवाब अप्रार्थी संख्या 1 ता 15 व 17 ता 20 प्रस्तुत किया गया जवाब इस प्रकार है कि प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र की मद संख्या– 1 में दर्ज कथनों को दस्तावेजी साक्ष्यों से न्यायालय के समक्ष प्रमाणित करने का दायित्व प्रार्थी पर ही है। इस मद में दर्ज कथन अप्रार्थीगण से असंबधित होने के कारण अस्वीकार है।

यह कि प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र की मद संख्या–2 में दर्ज कथन राजस्व रिकार्ड से संबंधित है एंव स्वीकार है। यह कि प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र की मद संख्या– 3 में दर्ज कथनों को प्रमाणित दस्तावेजों से न्यायालय के समक्ष साबित करने का भार प्रार्थी पर है। यह कि प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र की मद संख्या– 4 में दर्ज कथनों को दस्तावेजी साक्ष्यों से प्रमाणित करने का भार प्रार्थी पर है। यह कि प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र की मद संख्या– 5 व 6 में दर्ज कथनों को दस्तावेजी साक्ष्यों से प्रमाणित करने का भार प्रार्थी पर ही है। प्रार्थी अपने इस प्रार्थना–पत्र के माध्यम से किसी भी प्रकार की रिपोर्ट मंगवाने की मांग करने का कानूनी अधिकारी नहीं है। तथा प्रार्थी इस प्रार्थना–पत्र के माध्यम से श्रीमान न्यायालय से किसी भी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र खारीज फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.02.06 15:26:08 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत उक्त अनवान के प्रार्थना–पत्र की कानूनी स्थिती यह कि प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत उक्त अनवान के प्रार्थना–पत्र पर कानूनः श्रीमान न्यायालय को ना तो सुनवाई करने का क्षेत्राधिकार है ओर ना ही वर्तमान में वादाधीन कृषि भूमि की बाबत अथवा उस क्षेत्र की बाबत किसी भी प्रकार की सर्वे तथा रिकार्ड आपरेशन की कार्यवाही किए जाने के सन्दर्भ में राज्य सरकार के द्वारा कोई भी योजना प्रक्रियाधीन है। राज्य सरकार के द्वारा अपने परिपत्र संख्या भूप्रआ/समु/सामान्य/9/3/1/84/4822–34 दिनांक 06/11/1984 में स्पष्ट किया है

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

कि भूमि के सीमा सबंधी विवाद का निपटारा परचा खतौनी तस्दीक के समय करावें। अन्य किसी मामले या समय में सीमा ज्ञान की कार्यवाही नहीं कराई जावे। फलस्वरूप प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत उक्त अनवान का प्रार्थना–पत्र प्रथम दिन से ही श्रीमान न्यायालय की सुनवाई के क्षेत्राधिकार से बाहर प्रस्तुत किया हुआ होने के कारण निरस्त योग्य है।

अतः जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का उक्त अनवान का प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र प्रथम दिन से ही कानून में प्रदत प्रावधानों एंव राज्य सरकार के द्वारा प्रदत निर्देशों के विपरित प्रस्तुत हुआ होने के कारण निरस्त फरमाया जावे।

प्रकरण में तहसीलदार पीलीबंगा से पत्रांक 1396 दिनांक 02.07.2024 से प्राप्त की गई मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार अनुसार चक 25 एमओडी प.नं. 8/262(15) कि. नं. 10/1/0. 215, 11 से 18/2.024, 19/1/0.076 कुल 2.315 हैक्ट. रकबा रविन्द्र कुमार पुत्र रामसिंह जाति बिश्नोई साकिन 25 एमओडी खातेदार दर्ज राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी है। जिसका सीमाज्ञान उपतहसीलदार गोलूवाला के आदेश क्रमांक 259 दिनांक 22.06.2022 द्वारा गठित टीम के द्वारा दिनांक 28.06.2022 को उपस्थित प्रार्थी व अप्रार्थीगण का करवा दिया गया है। रिपोर्ट अनुसार अप्रार्थी द्वारा हस्ताक्षर नहीं किये गए है एवं असहमति प्रकट की गई है।

–:आदेश:–

बहस उभय पक्ष सुनी गई बहस में अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के मौजूदगी में निशानदेही की गई है। तहसीलदार से पेमाइश की जा चुकी है पत्थर लगवाने के आदेश किये जावे। अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा बहस में कथन किया गया कि मामला क्षेत्राधिकार का नहीं है। धारा 111 एलआरएक्ट के तहत किया जाना है। भू अभिलेख के तहत न्यायालय कार्यवाही नहीं कर सकता है। वाद पत्र 183 के तहत पेश किया जावे वाद पत्र खारिज योग्य है।

बहस पर मनन व प्रस्तुत दस्तावेजों तहसीलदार रिपोर्ट एवं जवाब दावा का गहन अध्ययन किया गया। वाद पत्र में चूंकि सीमांकन का विवाद है वादी एवं प्रतिवादी सीमांकन से सहमत नहीं है। उभय पक्ष वाद पत्र में हाजिर है एवं तहसीलदार द्वारा आदेश पत्रांक 259 दिनांक 22.06.2022 टीम गठित कर किये गए सीमाज्ञान से सहमत नहीं होने के कारण भू प्रबंधन विभाग बीकानेर से सीमांकन करवाया जाना उचित है न्यायालय स्तर पर कार्यवाही अपेक्षित नहीं प्रार्थना पत्र प्रार्थी अस्वीकार किया जाता है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसला होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

31/01/2025

(अमित बिश्नोई आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

Signature Not Verified

Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.02.06 15:26:08 IST
Reason: SelfAttested